न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
1018 / 2024	30.12.2024	13-01-2025

उनवान

1. भगवत पुत्र श्री बंशी लाल विश्नोई निवासी दरीबा तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)

– प्रार्थी

बनाम

1. गोवर्धन लाल पुत्र श्री डालचन्द विश्नोई निवसी– दरीबा तहसील एंव जिला भीलवाड़ा।
2. निक्की पुत्र श्री देवी लाल विश्नोई निवसी दरीबा तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
3. भानु पुत्र श्री देवी लाल विश्नोई निवसी दरीबा तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
4. श्रीमती कंकू पत्नी श्री रतन लाल अहीर निवासी समोड़ी तहसील एंव जिला भीलवाडा
5. कैलाश पुत्र श्री सीताराम अहीर निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
6. तुलसी राम पुत्र श्री छोगा अहीर निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
7. भगवान लाल पुत्र श्री छोगा अहीर निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
8. मांगी पत्नी श्री सीताराम अहीर निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
9. रेखा पुत्र श्री सीताराम अहीर निवासी– समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
10. लक्ष्मी पुत्री श्री सीताराम अहीर निवासी– समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
11. सुरेश पुत्र श्री रतन अहीर निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
12. हीरा पुत्र श्री सीताराम अहीर निवासी समोड़ी तहसील एवं जिला भीलवाडा (राज०)
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा.।

–– विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री उदयसिंह चारण
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम समोडी, पटवार हल्का दरीबा भू.अ.नि. पांसल तहसील व जिला–भीलवाड़ा के वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 तक में दर्ज खाता संख्या नया 367 में वर्णित आराजी संख्या 1249 / 697 रकबा 0.6323 हेक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण गैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी संख्या 01 से लगायत 12 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम समोडी, पटवार हल्का दरीबा भू.अ.नि. पांसल तहसील व जिला–भीलवाड़ा के वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 तक में दर्ज खाता संख्या नया 367 में वर्णित आराजी संख्या 1249/697 रकबा 0.6323 हेक्टेयर भूमि है। भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 13-01-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा